# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला सांचौर

(पीठासीन अधिकारी हनुमानाराम आर.ए.एस.)

मुकदमा नंम्बरः— 02/2018

**प्रार्थीगण** — **बनाम** — **अप्रार्थी**

जयसिंह (फौत) के कायम मुकाम
1. भवानीसिंह पुत्र जयसिंह
2. शैतानसिंह पुत्र जयसिंह
3. इन्द्राकंवर पत्नी जयसिंह जातियान राजपूत, निवासीगण दूठवा तहसील चितलवाना जिला सांचौर

बनाम

1. मगा पुत्र मुकना जाति गुरू दूठवा तह. चितलवाना
2. कानाराम पुत्र गोवदाराम जाति मेगवाल निवसी दूठवा
3. सुरेश कुमार पुत्र छगनभाई जाति चमार, निवासी पालज, तहसील गांधीनगर (गुज.)
4. व्यवस्थापक स.भू.वि. बैक शाखा सांचौर
5. तहसीलदार चितलवाना

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए, आर.टी. आर. एक्ट 1955**

उपस्थितः:—

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री जालाराम पूनीया।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 5 एक पक्षीय।

## निर्णय

दिनांक 04/01/2024

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' के तहत एक प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत करते हुऐ निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जाकाश्त की भूमि ग्राम दूठवा पटवार हल्का दूठवा के खेत खसरा संख्या 1600 रकबा 4.93 हैक्टर का आया हुआ है। उक्त भूमि प्रार्थीगण को भौतिक बंटवाड़े आने से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का है। जिसमे प्रार्थीगण की रहवासीय ढाणी बनी हुई है। उक्त भूमि पर वर्षो से प्रार्थीगण खेती—बाड़ी करते आ रहे है। प्रार्थीगण को उक्त खेत मे आने—जाने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण के खेत व रहवासीय ढाणी मे आने—जाने के लिए अप्रार्थीगण के खातेदार खेत दूठवा के खसरा संख्या 3153/1606 रकबा 1.46 हैक्टर के पास ही नर्मदा नहर निकली हुई है, जिसके खसरा संख्या3152/1606 है। उक्त नहर पर राजकीय कटाण रास्ते से प्रार्थीगण के खसरा संख्या 1600 मे आने—जाने के लिए अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 3153/1606 रकबा 1.46 हैक्टर मे से 0.03 हैक्टर भूमि पांच मीटर चौड़े रास्ते की नि[illegible] से आवश्यकता है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के खेत मे आने—जाने [illegible] लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। [illegible] प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत मे काश्त करने व आने—जाने का निकटतम [illegible] का सुविधाजनक का रास्ता नही है। आवेदित स्थ[illegible] की भूमि से प्रार्थीगण [illegible]न वर्षो से करता आ रहा है। लेकिन रेकर्ड मे रास्ता दर्ज नही हुआ जिसका नाजायज फायदा उठाकर अभी अभी अप्रार्थीगण उक्त भूमि अपने नाम की खातेदारी मे दर्ज होने का बहाना बनाकर उक्त स्थान से चलने से मना कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 16:30:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

दिया है। रास्ते हेतु आपसी सहमति से मामला नही बैठता है। जिससे प्रार्थीगण रास्ता की सुविधा के अधिकार पाने का कानूनी हकदार है।

2. उभयपक्ष की सहमति से इस बारे मे मौके वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार चितलवाना से तलब की गयी। तहसीलदार चितलवाना ने उभयपक्ष की उपस्थिति मे मौके की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया, जिसे शामिल फाईल किया गया।

3. प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 26.08.2020 को आवेदन बाबत मूल प्रार्थना पत्र को संशोधन करने हेतु अवगत करवाया कि प्रार्थी जयसिंह की मौत होने से उनके वारिसान को कायम मुकाम रेकर्ड पर लिया जाने का प्रार्थना प मियाद अधिनियम धारा 5 का पेश किया। जिससे प्रार्थी जयसिंह के कायम मुकाम भवानीसिंह पुत्र जयसिंह, शैतानसिंह पुत्र जयसिंह व इन्द्रा कंवर पत्नी जयसिंह को कायम मुकाम को रेकर्ड मे लेने का आदेश दिया गया।

4. तहसीलदार चितलवाना से मौका की वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार चितलवाना द्वारा उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तैयार कर प्रस्तुत किया गया कि ग्राम दूठवा के खसरा संख्या 3153/1606 रकबा 1.46 हैक्टर मे से खसरा संख्या 1600 के लिए आने आने के लिए रास्ताहेतु प्रार्थीगण ने वाद प्रस्तुत किया गया है। खसरा संख्या 3153/1606 संयुक्त खातेदारी खेत है जिसमे नहर से लगती हुई है। क व ख निशान तक 5 मीटर चौड़ाई तथा 60 मीटर लम्बाई कुल रकबा 0.03 हेक्टर भूमि होती है। मौका स्थिति अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता हेतु भूमि दिया जाना उचित है।

5. अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 को नोटिस तामिल के उपरान्त अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही लाई गयी।

6. प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता की बहस का श्रवण किया।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

## आदेश

फलतः उक्त प्रमाणित तथ्यों के परिपेक्ष्य मे प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि ग्राम दूठवा के खसरा संख्या 1600 रकबा 4.93 हैक्टर मे आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम दूठवा के खसरा संख्या 3153/1606 मे से 5 मीटर चौड़ा व 60 मीटर लम्बाई मे कुल रकबा 0.03 हैक्टर नवीन रास्ता कायम करने के आदेश दिये जाते है। सम्बधित बैंको का रहन यथावत रहेगा। उपरोक्त भूमि का 5 मीटर चौड़ा रास्ता के अलावा कोई अन्य उपयोग नही किया जायेगा। उभयपक्षकारान एक दूसरे के कब्जे काश्त मे आवागमन मे किसी प्रकार की बाधा व दखलन्दाजी नही करेगे। पक्षकार खर्चा अपना-अपना वहन करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 16:00:58 IST
Reason: SelfAttested

(... आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना जिला-सांचौर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 04/01/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना